Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 145/2020</u>

श्री निशांत चुघ
पुत्र श्री दीवान चन्द चुघ
वार्ड नं. 07,बस स्टेण्ड के पास,
अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 19.10.2020
अपील में निर्णय की दिनांक 05.01.2021

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना समयावधि में उपलब्ध नही कराने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1139)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/446 दिनांक 07.12.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 07.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1	निदेशक कार्य (भू.अ.) राजुवास, बीकानेर द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 में करवाई गई शोर्ट टर्म एन.आई.टी. की प्रमाणित प्रति।	निदेशक कार्य (भू.अ.) राजुवास, बीकानेर द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 में अल्पकालीन निविदा (शोर्ट टर्म एन. आई.टी.) आमंत्रित नहीं करवाई गई है। इस संबंध में प्राप्त सूचना की प्रमाणित प्रति एक पृष्ठ संलग्न है।
2	उक्त वर्णित प्रत्येक संविदा की तकनीकी, वितीय,प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतिलिपि तीन वर्ष की वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19	
3	उक्त वर्णित संविदाओं हेतु जारी निविदा की निविदा प्रपत्र की प्रतिलिपि वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19	
4	उक्त वर्णित संविदाओं हेतु जारी निविदा प्राप्त होने के बाद समस्त निविदाओं की तुलनात्मक तालिका नोटशीट व निविदा योग्यता हेतु मांगी गई योग्यताओं की प्रतिलिपि वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19	
5	उक्त वर्णित संविदाओं हेतु जारी निविदा कार्य के कार्य आदेश की प्रतिलिपि वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19	
6.	उक्त वर्णित संविदाओं के कुल अंतिम बिलों व माप पुस्तिका की प्रतिलिपि वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19	

7.	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7–ए(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण नाम पता फोन नं.।	बिन्दू संख्या 7 के संबंध में लेख है कि माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–145/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/457 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि लोकसूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 07.12.2020 द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट है। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना पत्र क्रमांक 446 दिनांक 07.12.2020 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 07.12..2020 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवंप्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर